टी बोर्ड
14, बिप्लबी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता - 700001

दिनांक: 05.09.2024

कार्यालय आदेश सं. 12/2024

यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से निर्धारित कार्यालय समय से परे कार्यालय परिसर में रहते हैं अत: अधोहस्ताक्षरी को बोर्ड के सभी संबंधितों को निर्धारित कार्यालय समय से परे कार्यालय में नहीं रहने के लिए सलाह देने का निदेश दिया जाता है।

संसद के प्रश्नों सहित किसी भी आकस्मिक आधिकारिक कार्य में भाग लेने के लिए, जिसका उत्तर उसी दिन दिया जाना है, संबंधित अधिकारियों को सचिव स्तर के अधिकी से पूर्व लिखित अनुमति से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्य घंटों से अधिक समय तक कार्यालय में रहने की अनुमति दी जाएगी। अन्यथा, संबंधित अधिकारी अपने आवास से उन्हें उपलब्ध कराए गए आधिकारिक लैपटॉप के माध्यम से कार्य कर सकते हैं क्योंकि लिफ्ट और यूपीएस का संचालन प्रत्येक कार्य दिवस में शाम 7.15 बजे बंद कर दिया जाएगा।

बोर्ड के किसी भी अवकाश के दिन कार्य करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो सभी से अनुरोध है कि वे सचिव स्तर के अधिकी से लिखित अनुमति प्राप्त करें, जिसमें उनके ठहरने की अवधि का उल्लेख हो, परंतु शाम 7 बजे से अधिक नहीं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्रभारी)

वितरण:-

1.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	कृपया आवश्यक अनुपालन हेतु। उनसे यह भी अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी संबंधितों तक पहुंचाएं।
2.	वि स एवं मु ले अ.	
3.	उपाध्यक्ष एवं सचिव के निजी सहायक	
4.	संपदा अधिकारी (प्रभारी)	
5.	आईटी कक्ष	बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित ।
6.	टीबीईए	
7.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित।

संदर्भ. मिसिल सं. 23(1)/स्था/2012/भाग- II